

¹प्ररूप सं. 24छ

[नियम 30 और नियम 37गक देखें]

टी.डी.एस./टी.सी.एस. बही समायोजन विवरण

दिन मास वर्ष को समाप्त होने वाले मास के लिए अंतरण वाउचर

| |
|--|
| |
|--|

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 1. लेखा अधिकारी का ब्यौरा | | पीएओ रजिस्ट्रीकरण संख्या (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई) | |
| लेखा अधिकारी पहचान संख्या (एआईएन) | | | |
| लेखा कार्यालय का नाम* | | | |
| लेखा कार्यालय का पता | | | |
| पता 1* | | पता 2 | |
| पता 3 | | पता 4 | |
| नगर* | | राज्य* | |
| पिन कोड* | | ई मेल आईडी* | |
| एसटीडी कोड फोन नं०* | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2. उत्तरदायी व्यक्ति का ब्यौरा (टिप्पण 1 देखें) | | पीएओ रजिस्ट्रीकरण संख्या (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा की गई) | |
| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम* | | | |
| उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम* | | | |
| उत्तरदायी व्यक्तियों का पता* | | | |
| पता 1* | | पता 2 | |
| पता 3 | | पता 4 | |
| नगर* | | राज्य* | |
| पिन कोड* | | ई मेल आईडी* | |
| एसटीडी कोड फोन नं०* | | उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाईल नं० | |

1. आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2010 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2010 से अंतःस्थापित।

5ग. टीडीएस-अनिवासी (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस

| क्रम सं.* | डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं. (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई) | डीडीओ कोड | डीडीओ का टैन* | डीडीओ का नाम* | पता 1* | पता 2 | पता 3 | पता 4 | नगर* | राज्य* | पिनकोड* | ईमेल आईडी | कटौती किया गया संग्रहीत (बेस कर, अधिभार, शिक्षा उपकर) | सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए)* |
|-----------|---|--------------|------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|------|--------|---------|--------------|--|---|
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | | | | | | | |

5घ. टीसीएस (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस

| क्रम सं.* | डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं. (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई) | डीडीओ कोड | डीडीओ का टैन* | डीडीओ का नाम* | पता 1* | पता 2 | पता 3 | पता 4 | नगर* | राज्य* | पिनकोड* | ईमेल आईडी | कटौती किया गया संग्रहीत (बेस कर, अधिभार, शिक्षा उपकर)* | सरकारी खाते को विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (एजी/प्रसीसीए)* |
|-----------|---|--------------|------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|------|--------|---------|--------------|---|---|
| 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | | | | | | | |

6. संक्षेप में विवरण :

| | |
|---|--|
| सुभिन्न डीडीओ की गणना मद 5 में प्रविष्टियों की संख्या रिपोर्ट की गई कुल टीडीएस/टीसीएस की रकम सरकारी खाते एजी/प्र.सीसीए में विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस | |
|---|--|

सत्यापन

में सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : उत्तरदायी व्यक्ति का नाम (टिप्पण 1 देखें)

तारीख :

टिप्पण :

1. उत्तरदायी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे इस प्ररूप को भरने के लिए वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) या कोषाधिकारी (टीओ) या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी ने उत्तरदायी बनाया है।
2. सभी प्रकार के भुगतान टीडीएस-वेतन (24थ) टीडीएस-गैर वेतन (26थ) टीडीएस अनिवासी (27थ) से संबंधित भुगतानों को उसी प्ररूप में प्रस्तुत किया जाए।
3. या तो डीडीओ रजिस्ट्रीकरण सं० या डीडीओ कोड प्रस्तुत करना आज्ञापक है।
4. प्रत्येक मास में अधिकतम चार प्रविष्टियां (कटौतीवार की प्रकृति) प्रत्येक मास में डीडीओ के अनुसार हो सकती है।
5. यह प्ररूप केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए/संग्रह किए गए कर की बाबत लागू होगा।
6. चिह्नित क्षेत्र जैसे* आज्ञापक हैं।

7. मंत्रालयों का ब्यौरा।

| क्रम सं० | मंत्रालय |
|----------|----------|
| 1. | सिविल |
| 2. | रेलवे |
| 3. | रक्षा |
| 4. | दूरसंचार |
| 5. | डाक |

6. उपमंत्रालय के विवरण (सिविल मंत्रालय के मामले में)

| क्रम सं० | उप मंत्रालय का नाम |
|----------|---|
| 1. | कृषि |
| 2. | परमाणु ऊर्जा |
| 3. | उर्वरक |
| 4. | रसायन और पेट्रोरसायन |
| 5. | नागर विमानन और पर्यटन |
| 6. | कोयला |
| 7. | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
| 8. | वाणिज्य और वस्त्र |
| 9. | पर्यावरण और वन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय |
| 10. | विदेश और प्रवासी भारतीय कार्य |
| 11. | वित्त |
| 12. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड |
| 13. | केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क-बोर्ड |
| 14. | नियंत्रण सहायता लेखा और संपरीक्षा |
| 15. | केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय |
| 16. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| 17. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
| 18. | गृह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास |
| 19. | मानव संसाधन विकास |
| 20. | उद्योग |
| 21. | सूचना और प्रसारण |
| 22. | दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी |
| 23. | श्रम |
| 24. | विधि और न्याय और कंपनी कार्य |

| क्रम सं० | उप मंत्रालय का नाम |
|----------|--|
| 25. | कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन |
| 26. | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस |
| 27. | योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन |
| 28. | विद्युत |
| 29. | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा |
| 30. | ग्रामीण विकास और पंचायती राज |
| 31. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
| 32. | अंतरिक्ष |
| 33. | इस्पात |
| 34. | खान |
| 35. | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| 36. | जनजातीय कार्य |
| 37. | वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) |
| 38. | पोत परिवहन और सड़क परिवहन और राजमार्ग |
| 39. | गरीबी उन्मूलन |
| 40. | जल संसाधन |
| 41. | राष्ट्रपति सचिवालय |
| 42. | लोक सभा सचिवालय |
| 43. | राज्य सभा सचिवालय |
| 44. | निर्वाचन आयोग |
| 45. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन |
| 46. | चंडीगढ़ प्रशासन |
| 47. | दादरा ओर नगर हवेली |
| 48. | गोवा दमण और दीव |

| क्रम सं० | उप मंत्रालय का नाम |
|----------|----------------------------------|
| 49. | लक्षद्वीप |
| 50. | पांडिचेरी प्रशासन |
| 51. | वेतन और लेखा अधिकारी (संपरीक्षा) |

| क्रम सं० | उप मंत्रालय का नाम |
|----------|--|
| 52. | गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत |
| 53. | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार |
| 54. | अन्य |

7 राज्यों का विवरण

| क्रम सं० | राज्य का नाम |
|----------|------------------------------|
| 1. | अंदमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश |
| 4. | असम |
| 5. | बिहार |
| 6. | चंडीगढ़ |
| 7. | छत्तीसगढ़ |
| 8. | दादरा और नगर हवेली |
| 9. | दमण और दीव |
| 10. | दिल्ली |
| 11. | गोवा |
| 12. | गुजरात |
| 13. | हरियाणा |
| 14. | हिमाचल प्रदेश |
| 15. | जम्मू-कश्मीर |
| 16. | झारखंड |
| 17. | कर्नाटक |
| 18. | केरल |

| क्रम सं० | राज्य का नाम |
|----------|---------------|
| 19. | लक्षद्वीप |
| 20. | मध्यप्रदेश |
| 21. | महाराष्ट्र |
| 22. | मणिपुर |
| 23. | मेघालय |
| 24. | मिजोरम |
| 25. | नागालैंड |
| 26. | उड़ीसा |
| 27. | पुडुचेरी |
| 28. | पंजाब |
| 29. | राजस्थान |
| 30. | सिक्किम |
| 31. | तमिलनाडु |
| 2[31क. | तेलंगाना] |
| 32. | त्रिपुरा |
| 33. | उत्तर प्रदेश |
| 34. | उत्तराखंड |
| 35. | पश्चिमी बंगाल |

2. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 1.6.2016 से अंतःस्थापित।